संख्या–235 / XXIV-3/08/02(67)/2005

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादूनः दिनॉक 12 मार्च, 2008

विषयः वित्तीय वर्ष 2007–08 में राजकीय इण्टर कालेज कण्वघाटी, कोटद्वार, पौड़ी में पुस्तकालय, कम्प्यूटर कक्ष एवं चार दीवारी (बाउंड्रीवाल) के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक / 5ख1 / 58456 / जीर्ण–शीर्ण / 2007–08, दिनॉक 02, फरवरी,2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय इण्टर कालेज, कण्वघाटी, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल में पुस्तकालय, कम्प्यूटर कक्ष, चार दीवारी एवं गेट के निर्माण हेतु निम्नवत् तालिका में उनके सम्मुख अंकित अनुमोदित लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए कुल रू0 20.47 लाख (रू0 बीस लाख, सैतालीस हजार मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में प्रश्नगत योजना में शासनादेश संख्याः 1010 / XXIV-3/07/02(20)/2007, दिनॉक 03.8.2007 एवं शासनादेश संख्याः 1974 / XXIV-3/07/02(20)/2007, दिनॉक 26.12.2007 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 1900.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	निर्माण ऐजेन्सी का नाम	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5
1.	पुस्तकालय कक्ष का निर्माण	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, पौड़ी।	4.83	4.83
2.	कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण।	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, पौड़ी।	6.34	6.34
3.	चार दीवारी(बाउंड्रीवाल) एवं गेट का निर्माण	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, पौड़ी।	9.30	9.30
		कुल योग रू0		20.47

1– समस्त निर्माण कार्य निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक दरों द्वारा ही कराया जायेगा। किसी भी दशा में आगणन के आधार पर कार्य का सम्पादन नहीं कराया जायेगा।

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

3– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है।

क्रमशः ..2

5– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाय।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

7– कार्य कराने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता से कार्य स्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण किसी प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त पायी जानी वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

9– जी0पी0डब्ल्यू फार्म–9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

10– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई,2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

11– निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

2– उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–202–माध्यमिक शिक्षा–आयोजनागत–00–11–राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनहीन/जीर्ण–शीर्ण भवनों का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–737(P)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/2008, दिनॉक 27 फरवरी,2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव

कमशः.....3

5

सँख्या–235(1)/XXIV-3/08/02(67)/2005, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6– अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7– जिलाधिकारी, पौडी।
8– कोषाधिकारी, पौड़ी।
9– जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी।
10–मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय (घोषणा अनुभाग), उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–247/XXXV(3)/149, घो0/04, दिनांक 09जून,2004 के क्रम में।
11–वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय।
11–बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय।
12–सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी।
13–कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग), उत्तराखण्ड सचिवालय।
14–एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
15–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव